न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला (नागौर)

पीठासीन अधिकारी –महेन्द्र मीणा आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2013 (48/2013)

प्रार्थीगण :–

1. पुसाराम उर्फ परसाराम पुत्र स्वर्गीय श्री शिवबक्ष उम्र करीब 61 साल,
2. गिरधारीराम पुत्र स्वर्गीय श्री शिवबक्ष उम्र करीब 53 साल,
3. मेलाराम उर्फ मूलाराम पुत्र स्वर्गीय श्री शिवबक्ष उम्र करीब 43 साल,.
4. बजरंगलाल पुत्र स्वर्गीय श्री शिवबक्ष उम्र करीब 50 साल,
5. झुमादेवी पुत्री श्री शिवबक्ष उक्त सभी (1 ता 5) की जाति मेघवाल हाल आबाद कड़वा का बांसडा कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।
6. सोहनी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमाराम
7. आंचुकी पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमाराम,
8. मिरकी पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमाराम
9. हणमानराम पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमाराम
10. सुखाराम पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमाराम उक्त सभी (6 से 10) की जाति मेघवाल हाल आबाद कडवा का बासंडा कुचामन सिटी
11. सीताराम पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूराम,
12. पेमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूराम,
13. छोटी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भैरूराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष
14. पतासीदेवी पुत्री स्वर्गीय श्री भैरूराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष
15. श्रीमती कानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भैरूराम उम्र करीब 80 साल, उक्त सभी (1ता15) की ओर से जरिये मुख्त्यार वादी संख्या 16 मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूराम जाति भांबी (मेघवाल) निवासी कड़वा का बासंडा कुचामन सिटी
16. मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूराम उम्र करीब 65वर्ष जाति मेघवाल निवासी कड़वा का बासंडा कुचामन सिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
2. हल्का पटवारी रूपपुरा तह0 नावां जिला नागौर
3. लाली पुत्री भैरूराम जाति मेघवाल निवासी कडवा का बासंडा कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– श्री मौहम्मद हनीफ एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं.3 की आर से।
तहसीलदार कुचामन सिटी स्वयं

आदेश

दिनांक 27.01.17

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार हल्का रूपपुरा–टोरडा तह. नावां जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 64 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय प्रार्थीगण 1 ता 10 के पूर्वज शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 एवं प्रार्थीगण 11 से 16 तक एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वज भैरू पुत्र मूला 1/2 दोनो की जाति मेघवाल साकिन बासंडा तत्कालिन भूमिधारी राजा साहब हरीसिंह जी साहब ठीकाना कुचामन सिटी के काश्तकार थे तथा लगान अदा करते थे तत्पश्चात जागीरदारी रिज्यूम होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन उक्त शिवबक्ष व भैरू विधि प्रभाव से राजस्व अभिलेख में बहैसियत काबिज खातेदार हो गये तदनुसार राजस्व अधिकार अभिलेख गत खसरा नम्बर 2 की ६५/२ बीघा आराजी की प्रविष्टि का अंकन हो गया ओर कृषि उपज बाजरी, मोठ मूंग चवला ग्वार उत्पाद का लगान रूपये 42.72 राजस्थान सरकार को अदा करने लगे। खातेदार काश्तकार शिवबक्ष पुत्र अमराराम मेघवाल हिस्सा ½ भैरूराम पुत्र मूलाराम मेघवाल हिस्सा ½ दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2012 से 2040 एवं खसरा मिलान प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया। श्री शिवबक्ष जी प्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता, प्रार्थिया तथा प्रार्थी संख्या 6 से 10 के उक्त शिवबक्षजी के मृत पुत्र प्रेमाराम की सन्तान होने से शिवबक्ष जी पिताजी के पिताजी होने से दादाजी लगते है। श्री शिवबक्ष जी का स्वर्गवास दिनांक 21–02–1994 को हो गया। प्रार्थी संख्या 1 से लगायत 10 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम अनुसूचि के वैध दायद की हैसियत के तौर पर शिवबक्ष जी के गत खसरा नम्बर 2 के ६५/२ बीघा मे से ½ हिस्से की खातेदारी अधिकार विधि प्रभाव से प्राप्त हो जाने से काबिज काश्तकार हो गये। उक्त गत खसरा नम्बर 2 के ६५/२ बीघा मे से ½ हिस्से की खातेदारी अधिकार के सहखातेदार अभिधारी श्री भैरूराम जी प्रार्थी संख्या 15 के पति, प्रार्थी संख्या 11 से 14 व 16 एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पिता है श्री भैरूबक्ष दिनांक 17–10–1991 को फौत हो जाने से प्रार्थी संख्या 11 से 16 एवं अप्रार्थी संख्या 3 हिन्दू उत्तराधिकार के तहत वैध वारिसान की हैसियत से श्री भैरूराम की संयुक्त ½ खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा उपरोक्त आराजियान में ½ हिस्से के विधि प्रभाव से

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

संयुक्त रूप से बहैसियत खातेदार काश्तकार अधिकार निहीत हो चुके है। उक्त आराजियान पर प्रार्थीगण आज भी काबिज काश्तकार है। श्री शिवबक्ष एवं भैरूराम दोनो के मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त गत खसरा नम्बर 2 के दूसरी बार हुई भू–प्रबन्ध कार्यवाही के बाद बीघा से हैक्टर में नाप का परिवर्तन होने के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 11 रकबा 1.3400 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3300 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.5900 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 16 रकबा 4.6200 हैक्टर बारानी द्वितीय,खसरा नम्बर 17 रकबा 0.53.00 हैक्टर, बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.2000 हैक्टर, बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.55 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.05 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.03 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.2900 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल 6.46 हैक्टर दर्ज हुए उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 13 रकबा 0.5900 हैक्टर रास्ते के रूप में दर्ज हो चुकी है, फलतः रकबा 5.47 हैक्टर बारानी द्वितीय काबिल काश्त आराजी है। राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो की लिपिकीय त्रुटि के कारण राजस्व रेकर्ड मे रकबा ६५/२ बीघा आराजी में से बिना किसी सक्षम अधिकारी की घोषणात्मक दावे के खसरा नम्बर 2/1 केवल ३२।।/१ बीघा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी की अशुद्व प्रविष्ट का अधिकार अभिलेख में दर्ज कर दिया गया जिसके नवीन सेटलमेंट कार्यवाही मे नवीन खसरा नम्बर 16 रकबा केवल मात्र 4.62 हैक्टर ही दर्ज हुये तथा ४ बीघा कृषि आराजी भी कम कर दी गयी, शेष ३२।।/१ बीघा आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अशुद्ध प्रविष्ट दर्ज कर नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल रकबा 5. 12 हैक्टर के रूप में कर दी गयी तथा श्री शिवबक्ष के पिताजी का नाम उमाराम जी एवं भैरूराम जी के पिताजी का नाम गुल्लाराम था परन्तु राजस्व अधिकारियो की लिपिकीय अशुद्व भूल/त्रुटिवश श्री शिवबक्षजी तथा भैरूराम जी की वल्दियत की अशुद्व वर्तनी दोनो का अधिकार अभिलेख मे अशुद्व इन्द्राज कर दिया गया था। जबकि राजस्व नियम अनुसार यह सिद्वान्त है कि पश्चातवर्ती राजस्व अंकन प्रविष्टि के आधार पर ही नवीन रेकर्ड जमाबन्दी दर्ज की जाती है ओर अभिलेखों को निरन्तर अद्यतन रखना एक निरन्तर प्रक्रिया है प्रार्थीगण के पूर्वज शिवबक्ष व भैरूराम ने उपर्युक्त गत खसरा संख्या 2 में उपर्युक्त वर्णितानुसार स्वयं प्रत्येक ने 1/4–1/4 हिस्से का कभी भी अन्तरण अप्रार्थी संख्या 1 को नही किया उपर्युक्त राजस्व प्रविष्टि अशुद्व अवैध, विधि विरूद्व होकर राजस्व नियमो के प्रतिकूल है। राजस्व रेकर्ड में शिवबक्ष जी एवं भैरूराम की काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने की दिनॉक से ही निहीत खातेदारी सुदा खसरा नम्बर 2 रकबा ६५/२ बीघा कृषि आराजी दर्ज रही है तथा काश्तकार लगान भी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्थान राज्य को अदा करते रहे है परन्तु सम्वत 2035 से 2038 के दौरान अशुद्व प्रविष्टि राजस्व अधिकार अभिलेख में खसरा नम्बर 2/1 रकबा ३२।।/१ बीघा बारानी दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 2 की शेष ३२।।/१ बीघा किस्म बारानी कृषि आराजी अलावा जोत काबिल काश्त की अशुद्व प्रविष्टि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज हो गयी। शिवबक्ष जी व भैरूराम अनुसूचित जाति के गरीब व अनपढ़ ग्रामीण कृषक होने की बेबसी एवं मजबुरी हालत की वजह से उन्हे राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज बाबत जानकारी नही हो सकी, ओर शिवबक्ष जी व भैरूराम जी राजस्व कर्मचारियो की उक्त अशुद्व त्रुटि से अनभिज्ञ रहे उक्त अशुद्व प्रविष्टि के सम्बन्ध में कार्यवाही नही कर सके ओर शिवबक्ष व भैरूराम के वल्दियती की त्रुटिपूर्ण वर्तनी दर्ज हो जाने के कारण काफी दुविधाओ का सामना करना पड रहा था ओर गरीब अनपढ़ कृषक होने के कारण उचित कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त करने में सक्षम नही थे इस वजह से पूर्व में कार्यवाही नही कर सके, शिवबक्ष जी व भैरूराम जी की मृत्युपरान्त राजस्व अधिकारियो से फौतगी नामान्तरकरण वास्ते प्रार्थीगण पटवारी के पास गये ओर तब रकबा कम दर्ज होने व शिवबक्ष व भैरूराम जी की वल्दियती की त्रुटिपूर्ण वर्तनी के कारण राजस्व अधिकार में अशुद्व अंकन दर्ज होने की जानकारी हुई फलस्वरूप पहले श्री शिवबक्ष जी एवं भैरूबक्ष जी की वल्दियत की उक्त लिपिकीय वर्तनी को सक्षम न्यायालय आदेश से दुरूस्त करने की कार्यवाही की गयी। तदुपरान्त उक्त गत खसरा नम्बर 2 में से ३२।।/१ रकबे के सम्बन्ध में शिवबक्ष जी व भैरूराम की खातेदारी के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख में अशुद्व प्रविष्टि के अंकन के कारण रकबा ३२।।/१ कम हो जाने की गलत प्रविष्टि की शुद्वी हेतु हस्तगत आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के पूर्वज शिवबक्ष व भैरूराम की कब्जे काश्त व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी के गत खसरा नम्बर 2 का वास्तविक रकबा ६५/२ बीघा बारानी द्वितीय की आराजी से अपनी जीवनकाल से कृषि कार्य करते रहे है, शिवबक्ष एवं भैरूराम के वशंज होने के नाते प्रार्थीगण इनके कानूनी वारिस की हैसियत से आज दिन तक निरन्तर इस आराजियान में काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर १२ रकबा 0.3300 हैक्टर, बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर १७ रकबा 0.53 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर १८ रकबा 1.200 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर २४ रकबा 0.55 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर २५ रकबा 1.0500 हैक्टर, बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर २६ रकबा 1.0300 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर ७८८रकबा 0.0200 हैक्टर , खसरा नम्बर 80 रकबा 0.2900 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.12 हैक्टर बारानी द्वितीय, कुल रकबा 5.12 हैक्टर बारानी द्वितीय, का सरकारी मल्कियत में त्रुटिवश अशुद्व प्रविष्टि के कारण दर्ज हो गये है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

फर्द के साथ पृथक से प्रस्तुत किये है प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 को आवश्यक पक्षकार रूप में संयोजित किया गया है पक्षकार है। अतः आवेदन मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि मौजा ग्राम पनवाडी के अधिकार अभिलेख में अंकित गत खसरा नम्बर 2 के रकबा वास्तविक रकबा ६५/२ बीघा की खातेदारी के स्थान पर अंकित अशुद्व प्रविष्टि ३२।।/१ बीघा बारानी दोयम की गलत प्रविष्टि दर्ज हो गयी ओर गत खसरा नम्बर २/१ रकबा ३२।।/१ बीघा बारानी दोयम का द्वितीय सेटलमेंट में बीघा से हैक्टर नाप में परिवर्तन के कारण खसरा नम्बर 16 में रकबा खातेदार शिवबक्ष व भैरू की खातेदारी में 4 बीघा कृषि भूमि का रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा घटाकर अशुद्व रूप से 4.6200 हैक्टर की अंकित कर दिया गया इसलिए गैरमुमकिन रास्ते के प्रयोजनार्थ अंकित भूमि खसरा नम्बर 13 को अलग छोडकर शेष वर्तमान खसरा नम्बर **नवीन खसरा नम्बर** १२, १७, १८, २४, २५, २६, ७८, ८०, ८१ कुल रकबा ५.१२ हैक्टर तथा सेटलेमेंट विभाग द्वारा कम की गयी अशुद्व प्रविष्टि 4 बीघा सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख में दर्ज अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व कर संशोधित अंकन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से हटाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्वी कर पुनः संशोधन करके शुद्व प्रविष्टि के तौर पर शिवबक्ष व भैरूराम के वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अंकन कराने जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया ओर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। दौराने विचारण संशोधन आवेदन प्रस्तुत किये गये जिन्हे न्यायालय ने सुनकर निस्तारित कर दिये गये एवं अप्रार्थी संख्या 3 को तलबी हेतु आदेश करने के पश्चात लाली की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रभूराम गुर्जर उपस्थित जिसने जवाब नही देना चाहा।

प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन कर गुणावगुण पर विचार किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार विचाराधीन कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख सम्वत 2012 रिज्युम जागीरदार के समय से ही ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 2 का रकबा 65 बीघा 2 बिस्वा के कृषक शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 बलाई बांसड़ा का नाम दर्ज होकर संवत 2023 तक इन्द्राज है, प्रसतुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2012–2015 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 2 रकबा ६५/२ बीघा में शीवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 बलाई। नकल सम्वत 2020–2023 खसरा नम्बर 2 रकबा ६५/२ बीघा में शीवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 कौम मेघवंशी सा. बासंड़ा कुचामन

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार दर्ज है। नकल सम्वत 2024–2027 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 2 रकबा ६५/२ बीघा में शीवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 कौम मेगवंशी सा. कुचामन खातेदार दर्ज है। नकल सम्वत 2031–2034 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 2 रकबा ६५/२ बीघा में शीवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 कौम मेगवंशी सा. कुचामन खातेदार दर्ज है। नकल सम्वत 2035–2038 खसरा नम्बर 2/1 रकबा ३२ बीघा १२ बिस्वा में शिवबक्ष पुत्र अमरा 1/2 भैरू पुत्र मूला 1/2 मेगवंशी सा. कुचामन कड़वा का बांसड़ा खातेदार दर्ज है एवं खसरा नम्बर 4/1 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 2 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा में खाता मिलकियत सरकार कृषि योग्य चालू पड़त या अलावा जोत काबिल काश्त दर्ज है। गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2016, 2017–20192020–203,2028–2029 में प्रार्थीगण के पूर्वज एवं उसके पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा काश्त दर्ज चला आ रहा है।प्रार्थीगण के परिवारिक सदस्य के विरूद्व धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के तहत भी कार्यवाही वर्ष 2007 मे की गई है तथा उक्त प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने से कार्यवाही की गई, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 2 एवं 2 मी. के नये खसरा नम्बर 11 12 13 16 17 18 24 25 26 78 80 81 बने है। उक्त खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 16 रकबा 4.62 हैक्टर भूमि शिवबक्स पुत्र अमराराम 1/2 भैरूराम पुत्र मूलाराम 1/2 कौम मेघवशी सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 12 रकबा 0.33 हैक्टर बारानी द्वितिय, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 24 रकवा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.12 हैक्टर कुल रकबा 5.12 हैक्टर की खातेदारी चाही है, चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वजो की भूमि 32 बीघा 11 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए थी, उपरोक्त तथ्य एवं उक्त प्रविष्टि के अंकन का राजस्व अभिलेख मे संवत 2035–2038 में खसरा नम्बर 2 रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा कृषिभूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गयी है, इस सम्बन्ध में विपक्षी तहसीलदार द्वारा उक्त राजस्व प्रविष्टि के अंकन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया, प्रार्थीगण के उक्त विवादाधिन आराजी में कब्जे को साबित करने सम्बन्ध में धारा 91 एल. आर एक्ट के तहत जारी नोटिस टी.पी रसीद, फोटोगोप्स प्रस्तुत किये गये है, इससे यह प्रमाणित है, उल्लेखनीय की नवीन सेटलमेंट कार्यवाही में भी खसरा नम्बर 16 की जमांवदी में शिवबक्ष व भैरूराम के पक्ष मे केवल 4.72 हैक्टर बारानी 2 की खातेदारी दर्ज कर 4 बीघा कृषि भूमि पर शिवबक्ष

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

व भैरू की खातेदारी कम दी गयी, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि राजस्व प्रविष्टि के अशुद्व अंकन को सेटलमेंट कार्यवाही के बाद भू **लेखाधिकारी से** अशुद्व अंकन के सम्बन्ध में जानकारी प्रकाश में आने के बाद ऐसी वार्षिक रजिस्टर की राजस्व प्रविष्टि को शुद्व किया जा सकता है। इस मामले में भी प्रार्थीगण खातेदारो के पूर्वज शिवबक्ष व भैरू के सम्वत 2012 से चले आ रहे रेकर्डेड 1/2–1/2 हक हिस्से का रकबा कम कर दिया गया है एवं नवीन सेटलमेंट कार्यवाही में शेष 32 बीधा में से भी 4 बीधा कृषि भूमि का रकबा कम कर दिया गया है फलतः अशुद्व राजस्व प्रविष्टि को शुद्व किया जाकर ग्राम पनवाडी के **नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल रकबा 5. 12 हैक्टर** कें सम्बन्ध में अंकित अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व करते हुसे इस सम्बन्ध में शुद्व अंकन करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम को हटाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्वी कर पुनः संशोधन करके शुद्व प्रविष्टि के तौर पर शिवबक्ष व भैरूराम के वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अंकन उचित समझने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम पनवाडी के नवीन खसरा नम्बर 12, 17, 18, 24, 25, 26, 78, 80, 81 कुल रकबा 5. 12 हैक्टर कें सम्बन्ध में अंकित अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व करते हुऐ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम को हटाकर राजस्व रेकर्ड में शुद्वी कर पुनः संशोधन करके शुद्व प्रविष्टि के तौर पर शिवबक्ष व भैरूराम के वारिसान प्रार्थीगण पुसाराम उर्फ परसाराम, गिरधारीराम मेलाराम उर्फ मूलाराम बजरंगलाल पिसरान स्वर्गीय श्री शिवबक्ष, झुमादेवी पुत्री स्वर्गीय श्री शिवबक्ष जाति मेघवाल हाल आबाद कड़वा का बांसडा कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान, .सोहनी देवी आंचुकी मिरकी पुत्रीया स्वर्गीय श्री प्रेमाराम, हणमानराम सुखाराम पिसरान स्वर्गीय श्री प्रेमाराम जाति मेघवाल हाल आबाद कडवा का बासंडा, कुचामन सिटी तथा सीताराम, प्रेमाराम मोहनलाल पिसरान स्वर्गीय श्री भैरूराम, छोटी देवी पतासीदेवी, अप्रार्थी लालीदेवी पुत्रीया स्वर्गीय श्री भैरूराम, श्रीमती कानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भैरूराम जाति मेघवाल नि. कडवा का बांसडा कुचामन सिटी के पक्ष में शुद्व अंकन कर खातेदारी की प्रविष्टि दर्ज की जावे। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामन सिटी (नागौर)